अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/117

नाथू उर्फ नासिर हुसैन पुत्र कालू जी जाति मुसलमान निवासी ग्राम कोटसुंआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मो0 रफीक पुत्र मुस्तकिम (डिलीट)
2. अब्दुल सत्तार पुत्र मो0 इश्हाक ।
3. अब्दुल वहीद पुत्र मो0 इश्हाक ।
4. ताहिरा (ताहेरी) बानो पुत्री मो0 इश्हाक ।
5. साहिरा (सायरा) बानो पुत्री मो0 इश्हाक ।
6. हमीदन पुत्री मो0 इश्हाक ।
7. हाजरा पुत्री मो0 इश्हाक ।
8. वहीद पुत्री मो0 इश्हाक ।
9. आबिद हुसैन पुत्र मो0 इश्हाक (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   - 9/1. जरीना बानो बेवा आबिद हुसैन ।
   - 9/2. शानू उर्फ साहिल पुत्र आबिद हुसैन ।
   - 9/3. अब्दुल कादिर पुत्र आबिद हुसैन ।
   - 9/4. आदिल पुत्र आबिद हुसैन ।
   - 9/5. नसीरन पुत्री आबिद हुसैन जातियान मुसलमान हाल निवासीगण सोना वाले इश्हाक का मकान, नारायण पान वाले की गली बडी मस्जिद के पास बजाज खाना, कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 34/दावा/2016

नाथू उर्फ नासिर हुसैन पुत्र कालू जी जाति मुसलमान निवासी ग्राम कोटसुंआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. मो० रफीक पुत्र मुस्तकिम (डिलीट)
2. अब्दुल सत्तार पुत्र मो० इश्हाक ।
3. अब्दुल वहीद पुत्र मो० इश्हाक ।
4. ताहिरा (ताहेरी) बानो पुत्री मो० इश्हाक ।
5. साहिरा (सायरा) बानो पुत्री मो० इश्हाक ।
6. हमीदन पुत्री मो० इश्हाक ।
7. हाजरा पुत्री मो० इश्हाक ।
8. वहीद पुत्री मो० इश्हाक ।
9. आबिद हुसैन पुत्र मो० इश्हाक (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   9/1. जरीना बानो बेवा आबिद हुसैन ।
   9/2. शानू उर्फ साहिल पुत्र आबिद हुसैन ।
   9/3. अब्दुल कादिर पुत्र आबिद हुसैन ।
   9/4. आदिल पुत्र आबिद हुसैन ।
   9/5. नसीरन पुत्री आबिद हुसैन जातियान मुसलमान हाल निवासीगण सोना वाले इश्हाक का मकान, नारायण पान वाले की गली बडी मस्जिद के पास बजाज खाना, कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 02.01.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र वर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री मनोज नामा, श्री रामबाबू मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 02.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

2/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/117

नाथू उर्फ नासिर हुसैन पुत्र कालू जी जाति मुसलमान निवासी ग्राम कोटसुंआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मो0 रफीक पुत्र मुस्तकिम (डिलीट)
2. अब्दुल सत्तार पुत्र मो0 इश्हाक ।
3. अब्दुल वहीद पुत्र मो0 इश्हाक ।
4. ताहिरा (ताहेरी) बानो पुत्री मो0 इश्हाक ।
5. साहिरा (सायरा) बानो पुत्री मो0 इश्हाक ।
6. हमीदन पुत्री मो0 इश्हाक ।
7. हाजरा पुत्री मो0 इश्हाक ।
8. वहीद पुत्री मो0 इश्हाक ।
9. आबिद हुसैन पुत्र मो0 इश्हाक (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   9/1. जरीना बानो बेवा आबिद हुसैन ।
   9/2. शानू उर्फ साहिल पुत्र आबिद हुसैन ।
   9/3. अब्दुल कादिर पुत्र आबिद हुसैन ।
   9/4. आदिल पुत्र आबिद हुसैन ।
   9/5. नसीरन पुत्री आबिद हुसैन जातियान मुसलमान हाल निवासीगण सोना वाले इश्हाक का मकान, नारायण पान वाले की गली बडी मस्जिद के पास बजाज खाना, कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्र वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मनोज नामा, श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 02.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम कोटसुंवा

तहसील दीगोद जिला कोटा की पुराने खसरा नम्बर 456/2 की 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 456/3 की 01 बीघा, खसरा नम्बर 512/5 की 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 512/6 की 03 बीघा 12 बिस्वा कुल 04 किता की 11 बीघा 04 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 608/966 की 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 1172/1 की 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 1367/1 की 0.42 हैक्टर कुल तीन किता की 1.66 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि प्रतिवादीगण की गैर खातेदारी से हटाई जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे, रहन, बेचान, अन्तरण एवं हस्तान्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

3. प्रार्थी प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.10.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी प्रतिपक्षीगण के पिता, दादा से वर्ष 1988 में 1400/– रूपये में क्रय करने के आधार पर वादी घोषणा खातेदारी प्राप्त करना चाहता है । क्रय करने के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है तथा इस सम्बन्ध में श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है । इस कारण वादी का वाद विधि द्वारा बाधित होने से खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2018 के द्वारा प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री विधि एवं कानूनी सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बिना जवाब दावे व तनकीयात कायम किये बिना निर्णय पातिर किया गया है । उक्त निर्णय विधि एवं कानूनी प्रक्रियाओं के विपरीत होने से निरस्तनीय है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में केवल वादी के अभिवचनों पर विचार करना आवश्यक होता है । जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वाद में जवाब दावे लिये बगैर उक्त वाद का निस्तारण करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना जवाब दावे पेश किये यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलान्ट का वाद का कारण उपलब्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा हक घोषणा का पेश किया जिसमें यह कथन किया कि प्रतिवादीगण के दादा ने वादग्रस्त आराजी 14000/– रूपये में अपीलान्टगण को बेचान कर कब्जा संभला दिया था तब से इस आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा है । आराजी गैर खातेदारी में दर्ज थी खातेदारी अधिकार नहीं मिलने के कारण विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं हो सका था । रेस्पोडेन्टगण के दादा की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने लगे हैं और बेदखली की धमकी दी । इसलिए हक घोषणा का दावा पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया । बिना जवाब लिये एवं बिना तनकीयात क़ायम किये निर्णय पारित किया है जो विधि –विरूद्ध है । दस्तावेजात का विवेचन नहीं किया है । अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थ में आरआरटी 2013 (2) पेज 1110 उद्धरत की उसकी विवेचना नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट काबिज काश्त है और रेस्पोडेन्ट की गैर खातेदारी में दर्ज है । अपीलान्ट ने आवंटन निरस्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के न्यायालय में पेश किया है जो विचारणीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013 (2) पेज 1110, आरआरडी 2014 (1) पेज 1176, आरआरटी 2011–12 (सप्लीमेन्ट) पेज 74, आरआरटी 2016 (2) पेज 1307 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी हक घोषणा की प्रार्थना की है जो कानूनन नहीं किया जा सकता । साथ ही अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2018 बहाल रखा जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2017 (2) आरआरटी पेज 1100, 1984 आरआरडी पेज 227, 2009 (1) आरएलडब्ल्यू (राज0) पेज 343, 2003 (1) आरआरटी पेज 22 उद्धरत की।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी ने हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है और दावे में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 इश्हाक मोहम्मद को आवंटन की गई थी जो उनके गैर खातेदारी में दर्ज है । मद संख्या 03 में यह अंकित किया गया है यह आराजी इश्हाक मोहम्मद एवं मो0 रफीक ने 14000/– रूपये में वादी को बेचान कर कब्जा दे दिया था और मुख्तारनामा भी वादी के पिता के पक्ष में आलेखित कर उसका पंजीयन करवा दिया था । मद संख्या 5 व 6 में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा चला आ रहा है और आराजी प्रतिवादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है इसलिए इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वह खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । इस प्रकार वादी ने दावे में जो अंकित किया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी उनके द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज से क्रय की है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वो खातेदारी अधिकार चाह रहे हैं । अपंजीकृत दस्तावेज

के आधार पर हक घोषणा का दावा राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । साथ ही माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा चुके हैं कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार कृषि भूमि में नहीं दिये जा सकते । इस प्रकार वादी का वाद विधिक रूप से चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से स्वीकार करते हुए वाद वादी खारिज किया है । 2017 (2) आरआरटी पेज 1100, 1984 आरआरडी पेज 227, 2009 (1) आरएलडब्ल्यू (राज0) पेज 343 यहॉ चस्पा होती है ।

10. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने जो नजीरें उद्धरत की है, आरआरटी 2011–12 (सप्लीमेन्ट) पेज 74, आरआरटी 2016 (2) पेज 1307 यहॉ चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में केवल दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर ही दावा खारिज किया है । जवाबदावे में उठाये गये बचाव पर विचार नहीं किया है । जहॉ तक आरआरटी 2013 (2) पेज 1110 का प्रश्न है इसके अतिक्रमण में माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा आरआरटी 20017 (2) पेज 1100 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे एवं अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर दावा पोषनीय नहीं है व आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में दावे को खारिज करना विधि सम्मत माना है ।

11. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा